रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2004/माघ 10, 1925
No. 49] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2004/MAGHA 10, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2004

सा.का.नि. 87(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1967 (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड इसके द्वारा पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1967 का संशोधन करता है।

1. लघु शीर्ष :—ये विनियम पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1967 (तीसरा संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएगा।

2. प्रारंभ :—यह संशोधन उक्त विनियम के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

3. पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1967 के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ता प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित के अनुसार स्थान लेंगे।

क्रम.सं. पद का वर्णन	नियोक्ता प्राधिकारी	दण्ड लगाने के लिए	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले पद	अध्यक्ष से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार	अध्यक्ष	(1) से (4) छोटे दण्ड	केन्द्र सरकार
		केन्द्र सरकार	सभी	केन्द्र सरकार
2. प्रथम श्रेणी पद [महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले पदों को छोड़ कर]	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	(1) से (4) छोटे दण्ड	अध्यक्ष
		अध्यक्ष	सभी	केन्द्र सरकार

क्रम.सं. पद का वर्णन	नियोक्ता प्राधिकारी	दण्ड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी		अपीलीय प्राधिकारी
3. द्वितीय श्रेणी	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	(1) से (4) छोटे दण्ड	अध्यक्ष
		अध्यक्ष	सभी	केन्द्र सरकार
4. तृतीय श्रेणी	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष
5. चतुर्थ श्रेणी	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष

[फा. सं. पी.आर.-12016/14/2002-पीई 1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

नोट :—

1. पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1967 भारत के राजपत्र दिनांक 1-11-1967 सा.का.नि. सं.-1675 में प्रकाशित किए गए।
2. प्रथम संशोधन अर्थात् पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 1975 भारत के राजपत्र दिनांक 1-2-1975 सा.का.नि. सं.-609 में प्रकाशित किए गए।
3. द्वितीय संशोधन अर्थात् पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 1984 भारत के राजपत्र दिनांक 12-12-1984 सा.का.नि. सं.-813(अ) में प्रकाशित किए गए।
4. पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1995 केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 17-11-1995 को सा.का.नि. सं. 1753(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2004

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of Paradip Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1967 (3rd Amendment) Regulation, 2003.

In exercise of power conferred by Section 28 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Paradip Port Trust hereby makes the following amendment to the Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1967.

1. **Short Title :** These regulations may be called Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) (3rd Amendment) Regulations, 2004.

2. **Commencement :** The amendment shall come into force from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

132

3. The Schedule appended to the Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1967 which provides appointing authority, disciplinary authority and appellate authority may be substituted as under :

Sl. No.	Description of post	Appointing Authority	Authority competant to Impose Penalty		Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Post Covered by clause (a) Sub-section (I) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963	Central Govt. after consultation with Chairman	Chairman	(i) to (iv) Minor penalties	Central Government
			Central Government	All	Central Government
2.	Class-I Posts [Other than those covered by clause (a) of Sub-section (i) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963]	Chairman	Deputy Chairman	(i) to (iv) minor penalties	Chairman
			Chairman	All	Central Government
3.	Class-II	Chairman	Deputy Chairman	(i) to (iv) Minor penalties	Chairman
			Chairman	All	Central Government
4.	Class-III	Head of the Department	Head of the Department	All	Deputy Chairman
5.	Class-IV	Head of the Department	Head of the Department	All	Deputy Chairman

[F. No. PR-12016/14/2002-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Note :

1. The Paradip Port Employees (CCA) Regulation, 1967 were published *vide* G.S.R. No. 1675 dt. 1-11-1967 in the Gazette of India.
2. The first Amendment namely Paradip Port Employees (CCA) (Amendment) Regulation, 1975 were published *vide* G.S.R. No. 609 dt. 1-2-1975 in the Gazette of India.
3. The 2nd Amendment namely Paradip Port Employees (CCA) (Amendment) Regulation, 1984 were published *vide* G.S.R. No. 813(E) dt. 12-12-1984 in the Gazette of India.
4. Paradip Port Employees (CCA) (3rd Amendment) Regulation, 1995 approved by the Central Govt. and notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 1753(E) dated 17-11-1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.